सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में

2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में
2021-22

महालेखाकार
(लेखा एवं हक.)
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

'लेखे एक नजर में' एक वार्षिक प्रकाशन है जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

सुझाव जो इस प्रकाशन के सुधार में हमें मददगार होगें, का स्वागत है।

(आशुतोष जोशी)
प्रधान महालेखाकार

स्थान : जयपुर,

दिनांक : जनवरी 13, 2023

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	विहंगावलोकन	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1–2
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3–5
1.4.	निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन	5–7
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	8
1.6.	अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?	9–10
अध्याय 2	प्राप्तियां	
2.1.	प्रस्तावना	11
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	11–12
2.3.	प्राप्तियों का रूझान	13–14
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	14
2.5.	गत पांच वर्षों के दौरान राज्य के स्वंय के कर संग्रहण के रूझान	15
2.6.	गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान	15
2.7.	कर संग्रहण में दक्षता	16
2.8.	केन्द्र सरकार से अनुदान	16–17
2.9.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	17
2.10.	लोक ऋण	17–18
अध्याय 3	व्यय	
3.1.	प्रस्तावना	19
3.2.	राजस्व व्यय	19–21
3.3.	पूंजीगत व्यय	22–23
अध्याय 4	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता व्यय	
4.1.	व्यय का वितरण	24
4.2.	राज्य निधि व्यय	24
4.3.	केन्द्रीय सहायता व्यय	24
4.4.	वचनबद्ध व्यय	25
अध्याय 5	विनियोग लेखे	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	26
5.2.	गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान	26
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	27–29

विषय सूची - *(समाप्त)*

		पृष्ठ
अध्याय 6	सम्पत्तियां एवं दायित्व	
6.1.	सम्पत्तियां	30–31
6.2.	ऋण एवं देयता	31–32
6.3.	गारन्टियां (आकस्मिक दायित्व)	32
अध्याय 7	अन्य मदें	
7.1.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	33
7.2.	लेखों का अंक मिलान	34
7.3.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	34
7.4.	सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण–पत्र	34
7.5.	सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल	34
7.6.	व्यय की प्रचुरता	35
7.7.	नवीन पेंशन प्रणाली	35–36
7.8.	उचंत शेषों की स्थिति	36
7.9.	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता	37
7.10.	निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते	37

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1. प्रस्तावना

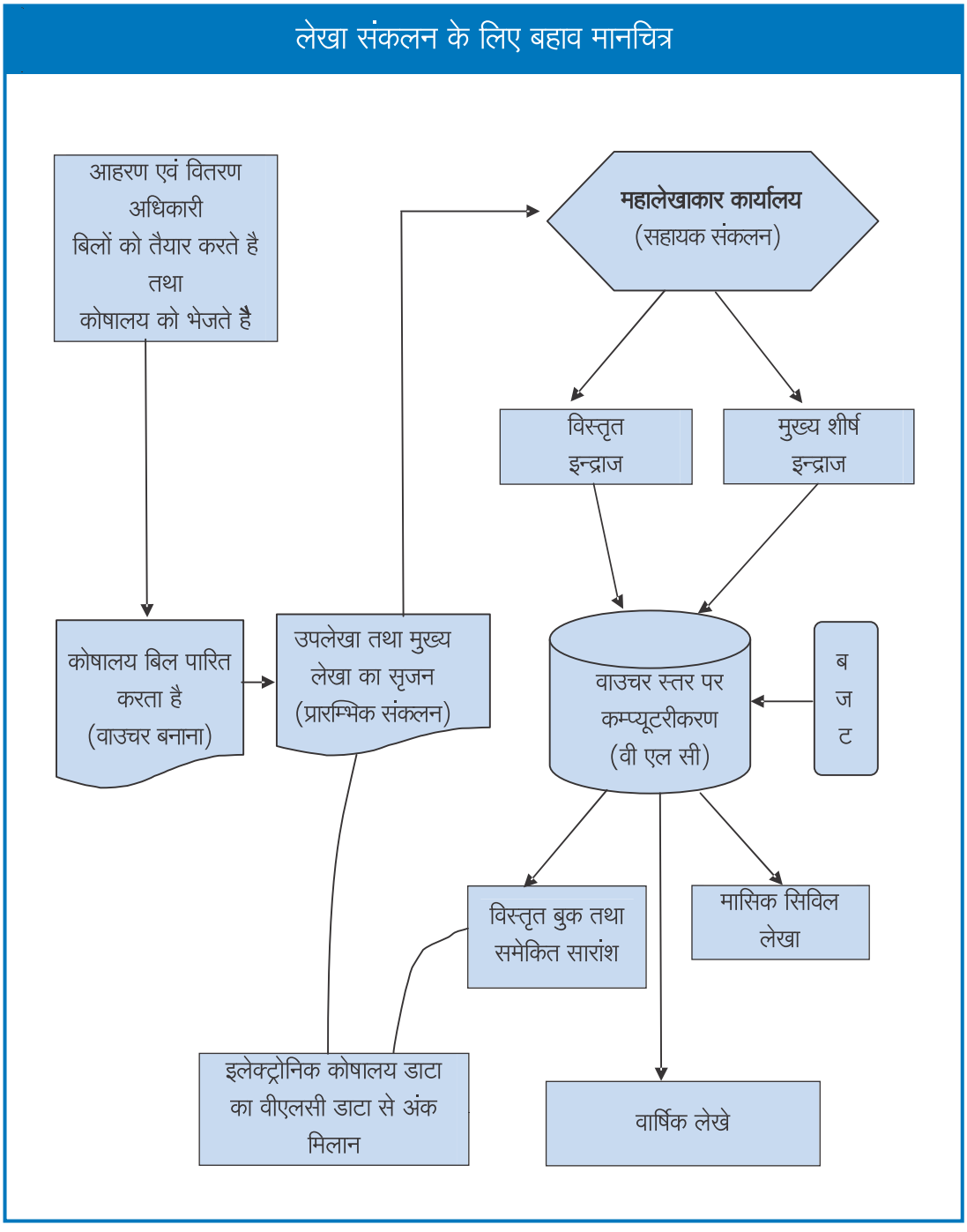
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है । यह संकलन 41 जिला कोषालयों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों से सम्बन्धित प्राप्तियों तथा भुगतानों को अप्रैल 2016 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के अधीन कोषालयों के साथ जोड़ दिया गया है, अत: सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों के लेखे कोषालयों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। इस संकलन से, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) वार्षिक रूप से वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा–I), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में संधारित किये जाते हैं :

भाग I समेकित निधि	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम।
भाग II आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
भाग III लोक लेखा	ऋण (भाग–I में शामिल ऋण को छोड़कर), जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन–देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होनी आवश्यक है।

1.2.2. लेखों का संकलन


लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र
आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों को तैयार करते है तथा कोषालय को भेजते है
महालेखाकार कार्यालय (सहायक संकलन)
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्ष इन्द्राज
कोषालय बिल पारित करता है (वाउचर बनाना)
उपलेखा तथा मुख्य लेखा का सृजन (प्रारम्भिक संकलन)
वाउचर स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (वी एल सी)
ब ज ट
विस्तृत बुक तथा समेकित सारांश
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रोनिक कोषालय डाटा का वीएलसी डाटा से अंक मिलान
वार्षिक लेखे

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

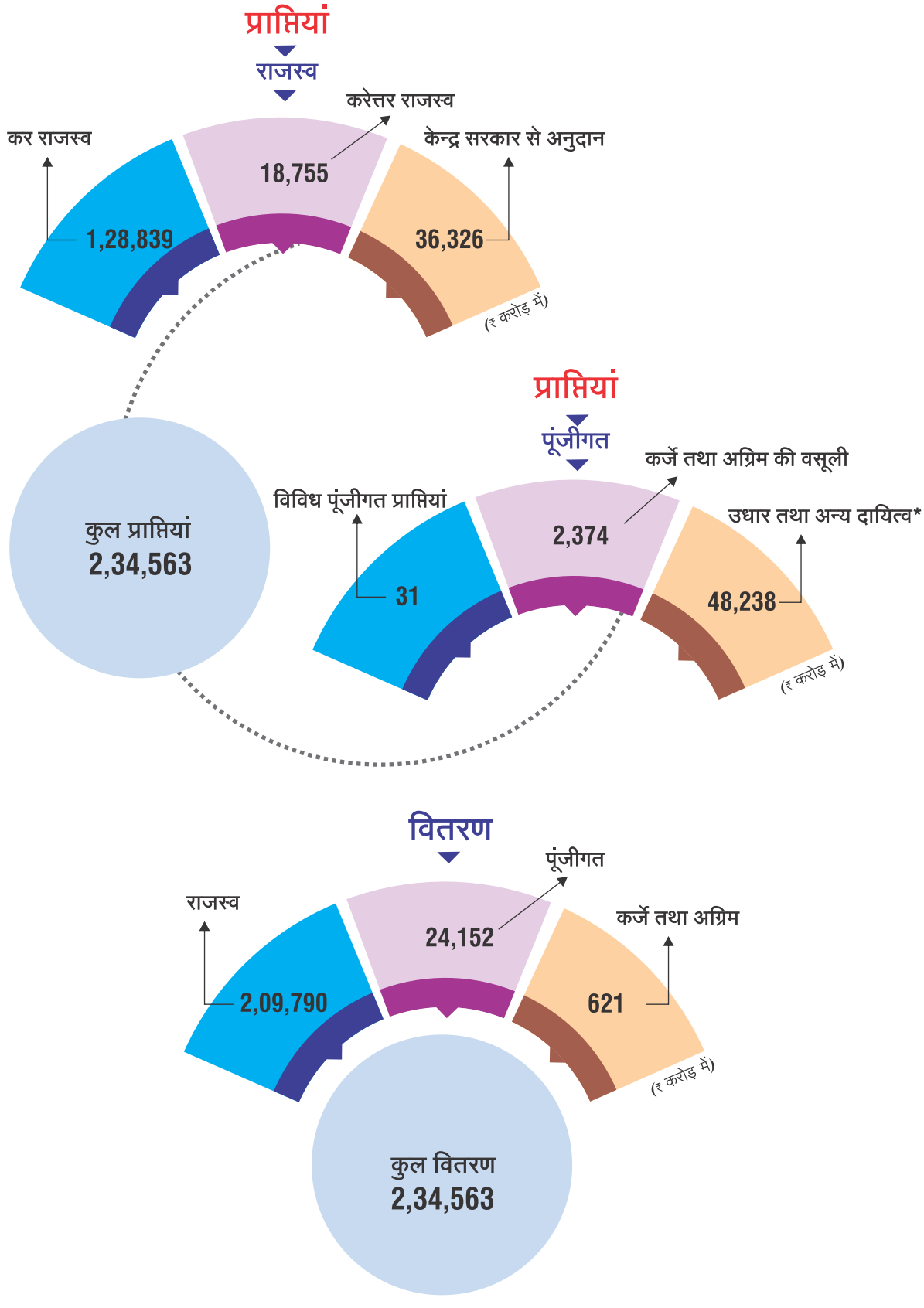
वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों को दर्शाते हैं, साथ ही लेखों में दर्ज राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक लेखे के शेषों द्वारा वित्तीय परिणाम दिखाते हैं। वित्त लेखे अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं । वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्राप्तियों एवं भुगतानों (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं लोक ऋण), निवेशों, गारण्टियों, सहायतार्थ अनुदान के सारांशीकृत विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन ढांचे की अनुपालना, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदों से समाहित 'वित्त लेखाओं से टिप्पणियां' हैं; खण्ड –II में विस्तृत विवरण (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) हैं।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियां तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2021–22 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल : 2,34,563)	**राजस्व (कुल : 1,83,920)**	**कर राजस्व**	1,28,839
		(क) स्वयं का कर राजस्व	74,808
		(ख) कर के निवल आगम का भाग	54,031
		करेत्तर राजस्व	18,755
		केन्द्र सरकार से अनुदान	36,326
	पूंजीगत (कुल : 50,643)	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	31
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	2,374
		उधार तथा अन्य दायित्व *	48,238
वितरण (कुल: 2,34,563)	**राजस्व**		2,09,790
	पूंजीगत		24,152
	कर्जे तथा अग्रिम		621

* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।



* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।

भारत सरकार के निर्णय, कि सी.एस.एस./ए.सी.ए. के अन्तर्गत सभी सहायता राज्य सरकार को जारी की जाये ना कि कार्यकारी अभिकरणों को, के उपरान्त भी भारत सरकार द्वारा निरन्तर कार्यकारी अभिकरणों को सीधे निधियां जारी की गयी । 2021–22 के दौरान, ₹ 16,151 करोड़ जारी किये गये जो कि 2020–21 में कार्यकारी अभिकरणों को सीधे जारी राशि से 18.5 *प्रतिशत* अधिक है। ये हस्तान्तरण वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किये गये हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, इनमें से अधिकांश सीधे हस्तान्तरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 7,835 करोड़), प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि (₹ 4,554 करोड़) तथा जल जीवन मिशन (₹ 2,345 करोड़) के तहत किए गए थे। परिणामस्वरूप कार्यकारी अभिकरणों द्वारा ऐसे हस्तान्तरण और बाद के व्यय राज्य सरकार के वार्षिक खातों में नहीं दर्शाए जाते हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर '*भारित*' तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इसमें 4 *प्रभारित* विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2021–22 में सकल व्यय के लिये ₹ 2,58,084 करोड़ तथा व्यय की कमी (वसूलियों) के लिए ₹ 7,337 करोड़ के प्रावधान कराये गये। इसके विरूद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 2,98,234 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 7,043 करोड़ थी, परिणामस्वरूप व्यय में ₹ 40,150 करोड़ का शुद्ध आधिक्य तथा व्यय की कमी में ₹ 294 करोड़ का अधिक अनुमान रहा । सकल व्यय में सारांश आकस्मिक (एसी) बिल द्वारा आहरित ₹ 59 करोड़ शामिल हैं जिसमें से ₹ 21 करोड़ के सारांश आकस्मिक बिल वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल की प्रत्याशा में बकाया थे।

2021–22 के दौरान, ₹ 35,571 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों का विवरण तथा व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष, यदि कोई है, केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी है।

1.4. निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । 2021–22 के दौरान, राजस्थान सरकार ने 67 अवसरों पर 143 दिनों के लिए ₹ 37,630 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया तथा ₹ 25 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया तथा 4 अवसरों पर 6 दिनों के लिए ₹ 913 करोड़ सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लिया तथा ₹ 0.3 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य का ₹ 25,870 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 48,238 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[1] का क्रमश: 2.2 *प्रतिशत* तथा 4.0 *प्रतिशत* था।

राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 20.6 *प्रतिशत* था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 45,235 करोड़) तथा लोक लेखा एवं रोकड़ शेष में निवल वृद्धि (₹ 3,003 करोड़) से पूरित किया गया । राज्य सरकार की राजस्व

[1] निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान, जयपुर के घोषित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021–22 के लिए जी.एस.डी.पी. 11,96,137 करोड़ है।

प्राप्तियों (₹ 1,83,920 करोड़) का लगभग 80.4 *प्रतिशत* वचनबद्ध व्यय (₹ 1,47,854 करोड़), जैसे संवेतन (₹ 56,602 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 28,101 करोड़), पेंशन (₹ 23,391 करोड़), सहाय्य (₹ 23,364 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य पेंशन (₹ 9,240 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (₹ 6,640 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 516 करोड़) पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत एवं आवेदन

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत

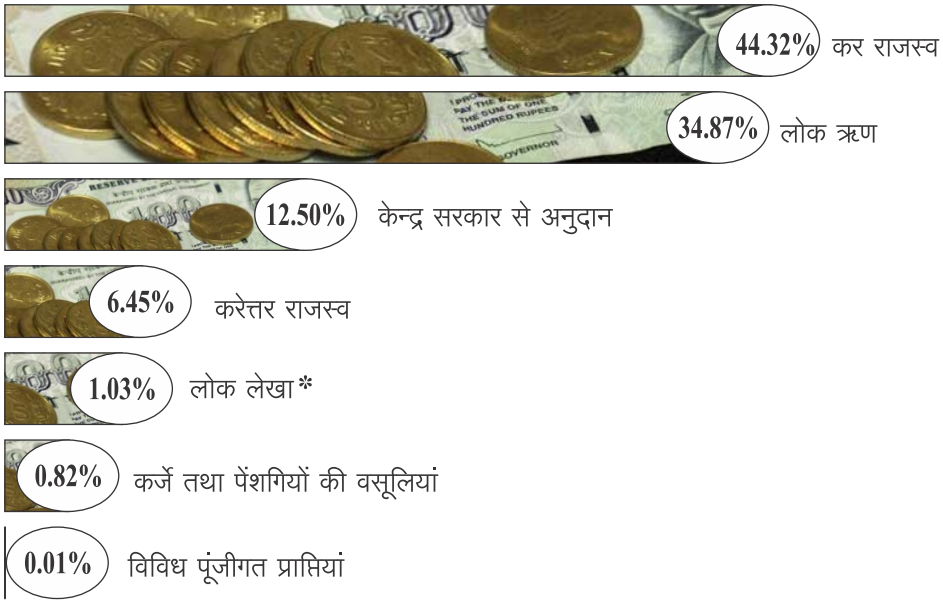
01.04.2021 को प्रारम्भिक नकद शेष	(-) 60
राजस्व प्राप्तियां	1,83,920
पूंजीगत प्राप्तियां	31
कर्ज तथा अग्रिम की वसूली	2,374
लोक ऋण	1,01,363
अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	14,001
आरक्षित निधियां	9,112
प्राप्त जमाएं	2,16,240
सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखा *	91,306
प्रेषण	13,993
आकस्मिकता निधि	..
योग	6,32,280

आवेदन

राजस्व व्यय	2,09,790
पूंजीगत व्यय	24,152
दिये गये ऋण	621
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	56,128
अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	11,540
आरक्षित निधियां	11,923
खर्च की गयी जमाएं	2,08,779
दिये गये सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखा *	95,167
प्रेषण	13,993
31.03.2022 को अंतिम नकद शेष	187
योग	6,32,280

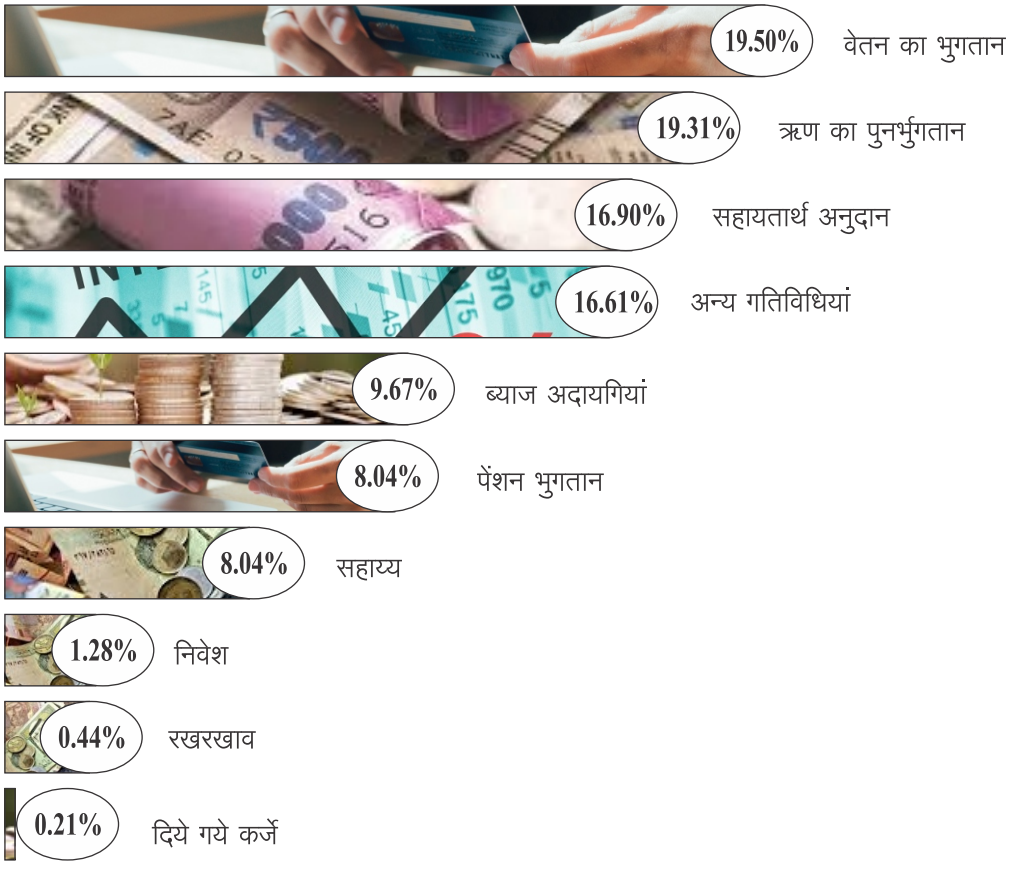
* उचन्त खाते में ₹ 95,203 करोड़ कोषालय बिलों में निवेशित तथा विभागीय शेषों तथा स्थायी नकद अग्रदाय में वितरण, जिन्हें " आवेदन " पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा ₹ 91,424 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बेचे गये कोषालय बिल ("पुन: बट्टे" के रूप में जाने जानी वाली एक प्रक्रिया) तथा विभागीय शेषों तथा स्थाई नकद अग्रदाय में प्राप्तियां जिन्हें " स्त्रोतों " की तरफ दर्शाया गया है, सम्मिलित है।

1.4.3. *रुपया जहाँ से आया :*



* लोक लेखे (रोकड़ शेष सहित) के उपरोक्त घटक निवल लिये गये हैं।

1.4.4. *रुपया जहाँ गया :*



1.5. लेखे की विशिष्टताएं

		आय-व्ययक अनुमान 2021-22	वास्तविक	वास्तविक का आय-व्ययक अनुमान से *प्रतिशतता*	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद@ से *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व (केन्द्रीय हिस्सा सहित)	1,30,156	1,28,839	99.0	10.8
2.	करेत्तर राजस्व	17,698	18,755	106.0	1.6
3.	केन्द्र सरकार से अनुदान	36,476	36,326	99.6	3.0
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**1,84,330**	**1,83,920**	**99.8**	**15.4**
5.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	655	2,374	362.4	0.2
6.	अन्य प्राप्तियां	20	31	155.0	..
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	47,653	48,238	101.2	4.0
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**48,328**	**50,643**	**104.8**	**4.2**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**2,32,658**	**2,34,563**	**100.8**	**19.6**
10.	**राजस्व लेखे पर व्यय**	**2,08,080**	**2,09,790**	**100.8**	**17.5**
	राजस्व लेखे पर राज्य निधि व्यय	1,87,042	1,89,969	101.6	15.9
	राजस्व लेखा पर केन्द्रीय सहायता	21,038	19,821	94.2	1.7
11.	ब्याज अदायगियां पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	28,360	28,100	99.1	2.3
12.	**पूंजीगत लेखे पर व्यय ***	**24,578**	**24,773**	**100.8**	**2.1**
	पूंजीगत लेखा पर राज्य निधि व्यय	19,969	20,327	101.8	1.7
	पूंजीगत लेखा पर केन्द्रीय सहायता	4,609	4,446	96.5	0.4
13.	**कुल व्यय (10+12)**	**2,32,658**	**2,34,563**	**100.8**	**19.6**
	राज्य निधि व्यय	2,07,011	2,10,296	101.6	17.6
	केन्द्रीय सहायता	25,647	24,267	94.6	2.0
14.	**राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)& (4-10)**	**(-) 23,750**	**(-) 25,870**	**108.9**	**2.2**
15.	**राजकोषीय घाटा & [13-(4+5+6)]=7**	**(-) 47,653**	**(-) 48,238**	**101.2**	**4.0**

@ विस्तृत रूप से, वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों के उपभोग हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (11,96,137 करोड़) के रूप में जाना जाता हैं।

* पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (बजट: ₹ 24,216 करोड़ और वास्तविक: ₹ 24,152 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जे और पेशगियां (बजट: ₹ 362 करोड़ और वास्तविक: ₹ 621 करोड़) शामिल हैं।

& राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जे और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जे और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

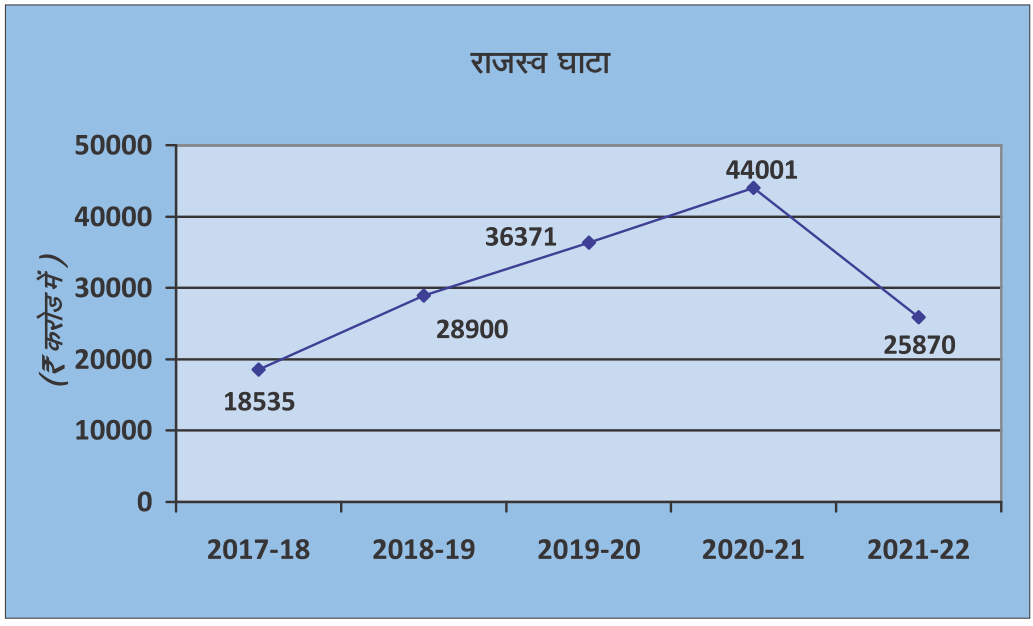
1.6. अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	प्राप्ति तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का आवेदन, वित्तीय प्रबन्धन के विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में अपेक्षित है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

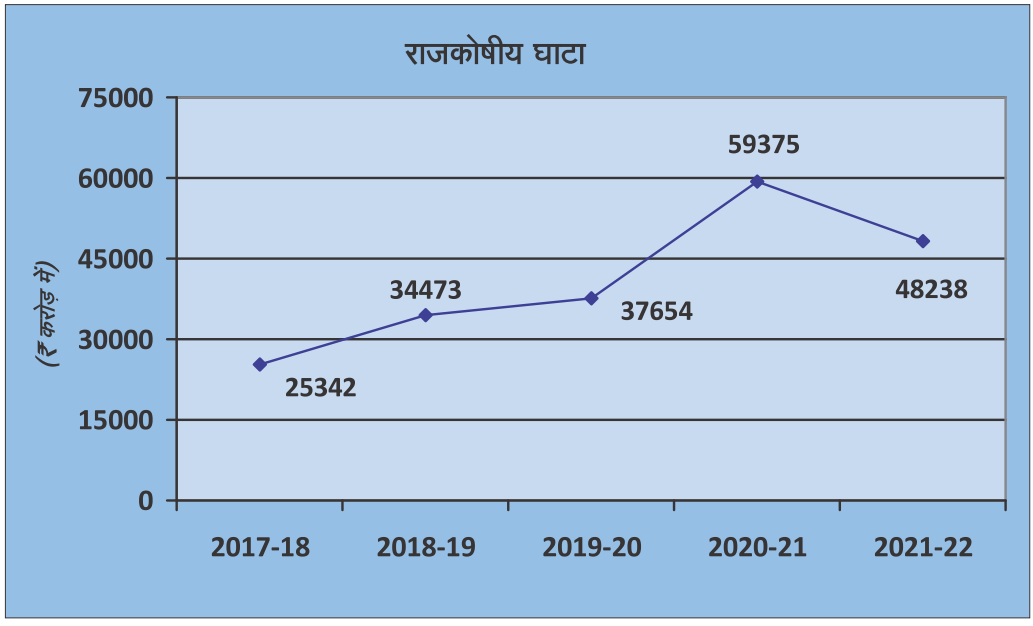
घाटा सूचक, राजस्व आवर्द्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदण्ड है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंषा के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 गठित किया गया तथा 2006 में इससे सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित की गयी। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011 तथा 2016) में संशोधन के अनुसार राज्य ने (i) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म करने तथा उसके बाद यथास्थिति रखने अथवा राजस्व अधिशेष की प्राप्ति, (ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 *प्रतिशत* या इससे कम करने तथा उसके बाद में इसे बनाये रखना तथा (iii) 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दायित्वों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 38.2 *प्रतिशत* तक कम करने के राजकोषीय लक्ष्य सुनिश्चित करना निर्धारित किया।

राज्य सरकार का 2011-12 तथा 2012-13 में राजस्व अधिशेष था जो 2013-14 में राजस्व घाटे में बदल गया जो आगे 2021-22 तक लगातार स्थिर रहा। 2021-22 के दौरान ₹ 25,870 करोड़ का राजस्व घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.2 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.0 *प्रतिशत* होते हुए ₹ 48,238 करोड़ था जो गत वर्ष की तुलना में 2.2 *प्रतिशत* कम था।

1.6.1. राजस्व घाटा का रुझान



1.6.2. राजकोषीय घाटे का रुझान



अध्याय 2

प्राप्तियां

2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में वर्गीकृत की जाती है। 2021-22 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 2,34,563 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित है।
सहायतार्थ अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है, जिसमें विदेशी सरकारों तथा संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त '' बाह्य सहायता '' सम्मिलित है। राज्य सरकार भी संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाएं, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान देती है।

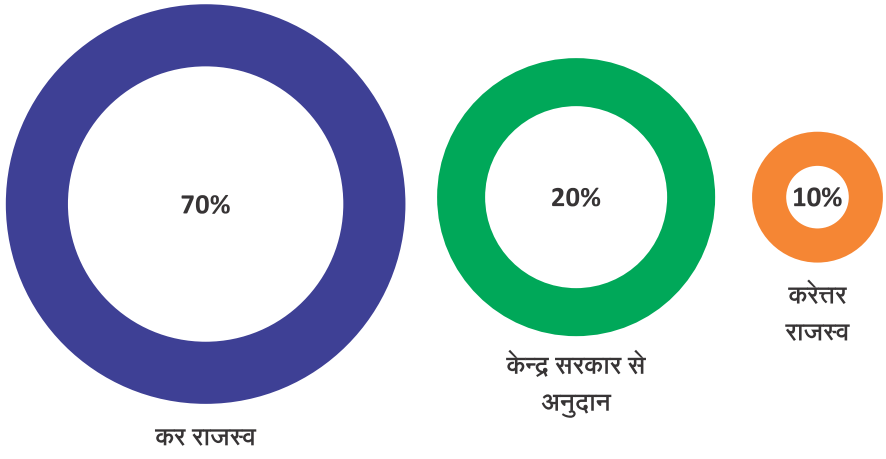
2.2.1. राजस्व प्राप्ति के घटक (2021-22)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	राजस्व प्राप्ति से *प्रतिशतता*
क. कर राजस्व *	**1,28,839**	**70.1**
वस्तु एवं सेवा कर	42,763	23.3
आय एवं व्यय पर कर	32,050	17.4
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	7,349	4.0
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	46,677	25.4
ख. करेत्तर राजस्व	**18,755**	**10.2**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	1,716	0.9
सामान्य सेवाएं	3,943	2.2
सामाजिक सेवाएं	1,478	0.8
आर्थिक सेवाएं	11,618	6.3
ग. केन्द्र सरकार से अंशदान	**36,326**	**19.7**
योग- राजस्व प्राप्तियां	**1,83,920**	**100.0**

* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।

राजस्व प्राप्तियां



2.2.2. कर राजस्व के मुख्य अशंदाता:–

संघटक	वास्तविक *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर *प्रतिशतता*
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	27,502	2.3
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,605	1.7
निगम कर	16,172	1.4
निगम कर से भिन्न आय पर कर	15,877	1.3
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	15,261	1.3
राज्य उत्पाद शुल्क	11,807	1.0
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,492	0.5
वाहन कर	4,759	0.4
सीमा शुल्क	3,864	0.3
विद्युत पर कर तथा शुल्क	2,606	0.2
संघ उत्पाद शुल्क	2,098	0.2

वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों से ₹ 1,318 करोड़ कम था। राजस्व के संग्रहण में मुख्य अन्तर निम्न है:–

(₹ करोड़ में)

जहाँ वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से कम थी		जहाँ वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थी	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	10,161	निगम कर	4,503
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,195	निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,019
वाहन कर	1,741	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	2,303
राज्य उत्पाद शुल्क	1,443	सीमा शुल्क	1,440
विद्युत पर कर तथा शुल्क	294	संघ उत्पाद शुल्क	924
		सेवा शुल्क	677
		स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	392
		ङ्गाल तथा ङ्गात्री कर	160
		भू–राजस्व	107

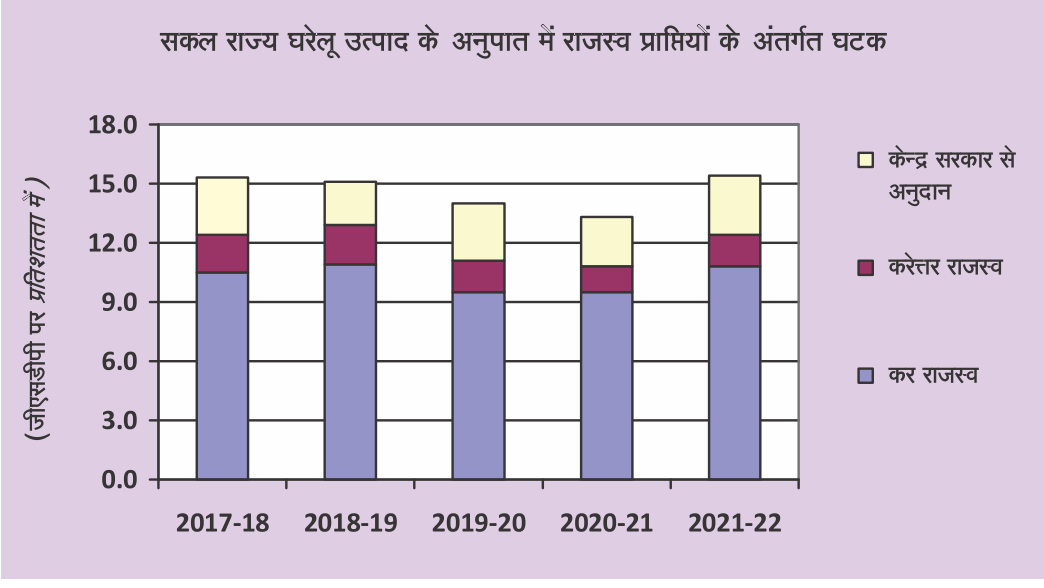
2.3. प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर राजस्व	87,633 (10.5)	99,233 (10.9)	95,294 (9.5)	95,859 (9.5)	1,28,839 (10.8)
करेत्तर राजस्व	15,734 (1.9)	18,603 (2.0)	15,714 (1.6)	13,653 (1.3)	18,755 (1.6)
केन्द्र सरकार से अनुदान	23,940 (2.9)	20,037 (2.2)	29,106 (2.9)	24,796 (2.5)	36,326 (3.0)
कुल राजस्व प्राप्ति	**1,27,307** (15.3)	**1,37,873** (15.1)	**1,40,114** (14.0)	**1,34,308** (13.3)	**1,83,920** (15.4)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**8,32,259**	**9,11,674**	**9,99,050**	**10,13,323**	**11,96,137**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।

2021–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष की तुलना में 18.0 *प्रतिशत* बढा तथा राजस्व संग्रहण में भी 36.9 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई । कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अनुदान गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 34.4 *प्रतिशत* , 37.4 *प्रतिशत* तथा 46.5 *प्रतिशत* बढा ।

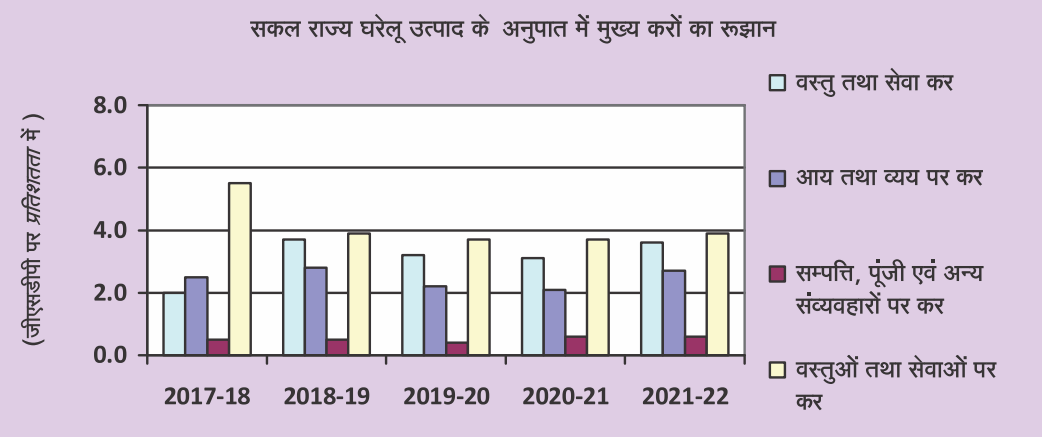


खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

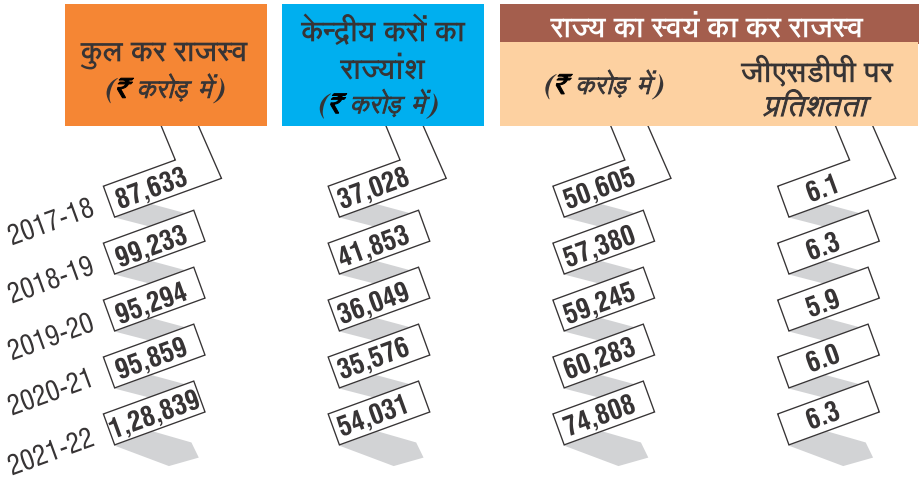
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वस्तु एवं सेवा कर	16,393 (2.0)	34,091 (3.7)	32,184 (3.2)	31,357 (3.3)	42,763 (3.6)
आय एवं व्यय पर कर	20,905 (2.5)	25,347 (2.8)	21,922 (2.2)	21,689 (2.3)	32,050 (2.7)
सम्पत्ति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर	4,040 (0.5)	4,182 (0.5)	4,601 (0.5)	5,640 (0.6)	7,349 (0.6)
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	46,295 (5.5)	35,613 (3.9)	36,587 (3.7)	37,173 (3.9)	46,677 (3.9)
कुल कर राजस्व	**87,633** (10.5)	**99,233** (10.9)	**95,294** (9.5)	**95,859** (9.5)	**1,28,839** (10.8)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**8,32,259**	**9,11,674**	**9,99,050**	**10,13,323**	**11,96,137**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।



2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता है अर्थात् राज्य का स्वयं का कर संग्रहण तथा संघ करों का हस्तांतरण।



2.5. गत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	12,137	22,938	21,954	20,755	27,502
भू–राजस्व	364	290	364	280	632
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	3,675	3,886	4,235	5,297	6,492
राज्य उत्पाद शुल्क	7,276	8,694	9,592	9,853	11,807
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	19,008	14,791	15,843	17,479	20,605
माल तथा यात्री पर कर	341	51	41	45	171
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पति पर कर	1	1	1	63	223
वाहन कर	4,363	4,576	4,951	4,368	4,759
विद्युत् पर कर तथा शुल्क	3,376	2,148	2,263	2,142	2,606
अन्य	64	5	1	1	11
कुल	**50,605**	**57,380**	**59,245**	**60,283**	**74,808**

2.6. गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	520	10,329	10,229	10,602	15,261
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	3,736	824	..	..	..
निगम कर	11,334	14,553	12,291	10,711	16,172
आय पर निगम कर से भिन्न कर	9,571	10,718	9,631	10,978	15,877
धन पर कर	..	5	1	..	4
सीमा शुल्क	3,735	2,966	2,285	1,911	3,864
संघ उत्पाद शुल्क	3,905	1,971	1,589	1,199	2,098
सेवा शुल्क	4,227	389	..	150	701
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	22	23	25	54
आय तथा व्यय पर अन्य कर	..	76	..	..	..
संघ करों के राज्यांश	**37,028**	**41,853**	**36,049**	**35,576**	**54,031**
कुल कर राजस्व	**87,633**	**99,233**	**95,294**	**95,859**	**1,28,839**
कुल कर राजस्व पर संघ करों का *प्रतिशत*	**42.3**	**42.2**	**37.8**	**37.1**	**41.9**

2.7. कर संग्रहण में दक्षता

क. सम्पत्ति पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व संग्रहण	4,040	4,182	4,601	5,640	7,349
संग्रहण पर व्यय	725	806	791	852	952
संग्रहण की लागत (*प्रतिशत* में)	17.9	19.3	17.2	15.1	13.0

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर जी.एस.टी. सहित

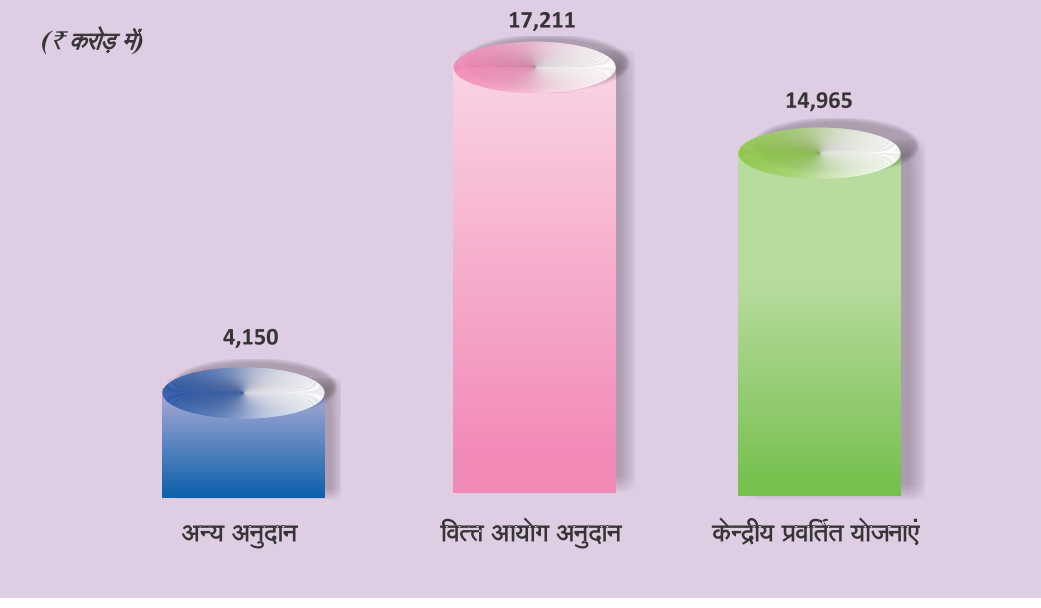
(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व संग्रहण	62,688	69,704	68,771	68,530	89,440
संग्रहण पर व्यय	1,370	1,440	1,154	1,820	1,745
संग्रहण की लागत (*प्रतिशत* में)	2.2	2.1	1.7	2.7	2.0

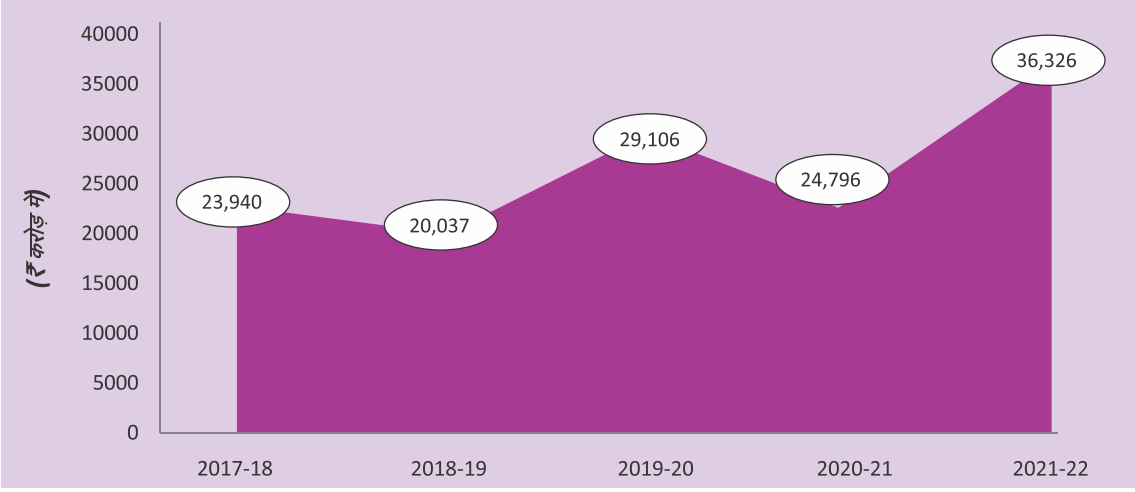
2021–22 में वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर जी.एस.टी. सहित, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रह की लागत में 2020–21 से 0.7 *प्रतिशत* कमी रही।

2.8. केन्द्र सरकार से अनुदान

केन्द्र सरकार से अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंषित अनुदान सम्मिलित है। 2021–22 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 36,326 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:



सहायतार्थ अनुदान का गत पांच वर्षों का रूझान निम्न प्रकार है:-



2.9. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था । जी.एस.टी. (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार जी.एस.टी. लागू होने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकारों को करेगी।

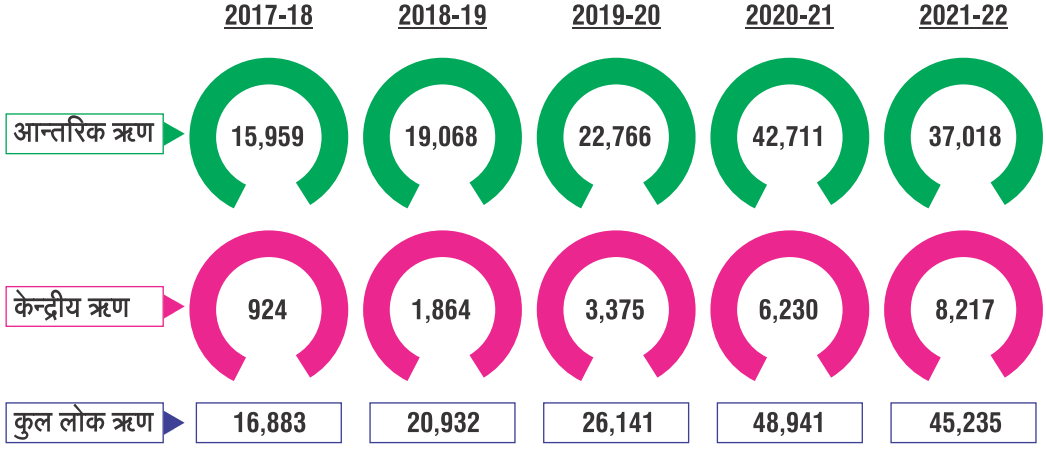
2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹ 27,502 करोड़ (₹ 1,426 करोड़ आई.जी.एस.टी. से अग्रिम बंटवारे के शामिल करते हुए) प्राप्त किये तथा जी.एस.टी. लागू करने से उत्पन्न होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से ₹ 3,746 करोड़ (पिछले वर्ष से सम्बन्धित) प्राप्त किये। भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति अंतरिम है तथा लेखापरीक्षा के अधीन है।

2.10. लोक ऋण

2.10.1. लोक ऋण का रूझान

लोक ऋण (निवल) का गत पांच वर्षों का रूझान निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

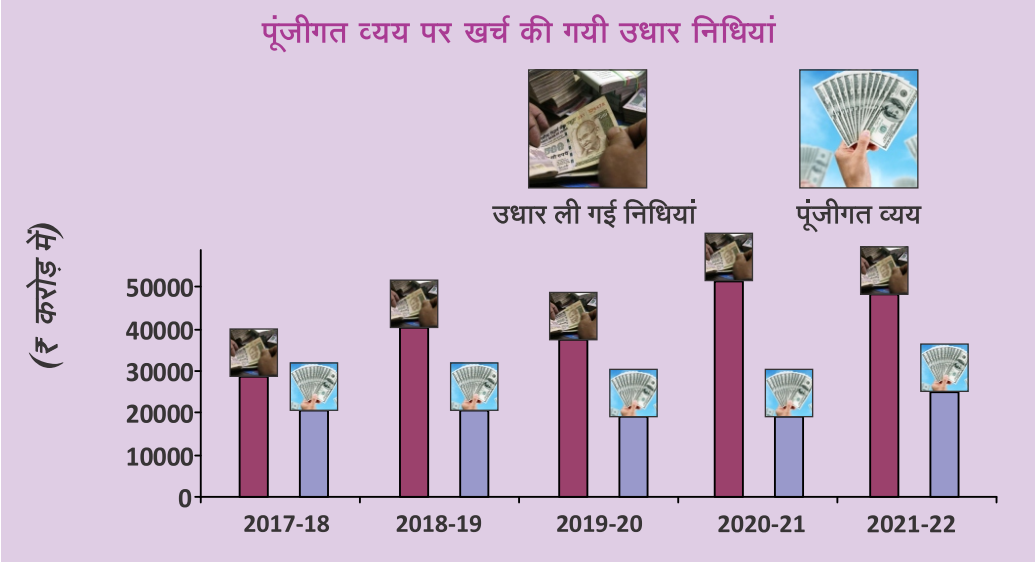


2021–22 में, 58 ऋण कुल ₹ 51,149 करोड़ के 6.01 *प्रतिशत* से 7.65 *प्रतिशत* की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये तथा वर्ष 2025 से 2046 के बीच चुकता होंगे।

2.10.2. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत व्यय	20,623	19,638	14,718	15,271	24,152
उधार ली गई निधियां (निवल)	16,883	20,932	26,141	48,941	45,235



यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाए। 2013–14 से राज्य सरकार के पास ऋण चुकाने के लिए कोई राजस्व अधिशेष नहीं है राज्य सरकार ने यद्यपि, पूंजी लेखे पर व्यय (₹ 24,152 करोड़) चालू वर्ष की शुद्ध उधारी (₹ 45,235 करोड़) की तुलना में कम किया गया तथा शेष उधारी (₹ 21,083 करोड़) राजस्व घाटे को पुरा करने के लिये उपयोजित की गयी ।

अध्याय 3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय सरकार को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

2021–22 के लिये ₹ 2,09,790 करोड़ का राजस्व व्यय, राज्य निधि के अन्तर्गत अधिक वितरण (₹ 2,927 करोड़) तथा केन्द्रीय सहायता के अधीन कम वितरण (₹ 1,217 करोड़) के कारण, बजट अनुमान (₹ 2,08,080 करोड़) से ₹ 1,710 करोड़ अधिक था । राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए सितम्बर 2021 तथा मार्च 2022 में ₹ 19,598 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

गत पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय की कमी/आधिक्य नीचे दर्शायी जाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बजट अनुमान	1,43,690	1,69,118	1,91,020	1,85,750	2,08,080
वास्तविक	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790
अन्तर	(-) 2,152	2,345	14,535	7,441	(-) 1,710
बजट अनुमानों पर अन्तर की *प्रतिशतता*	(-) 1.5	1.4	7.6	4.0	(-) 0.8

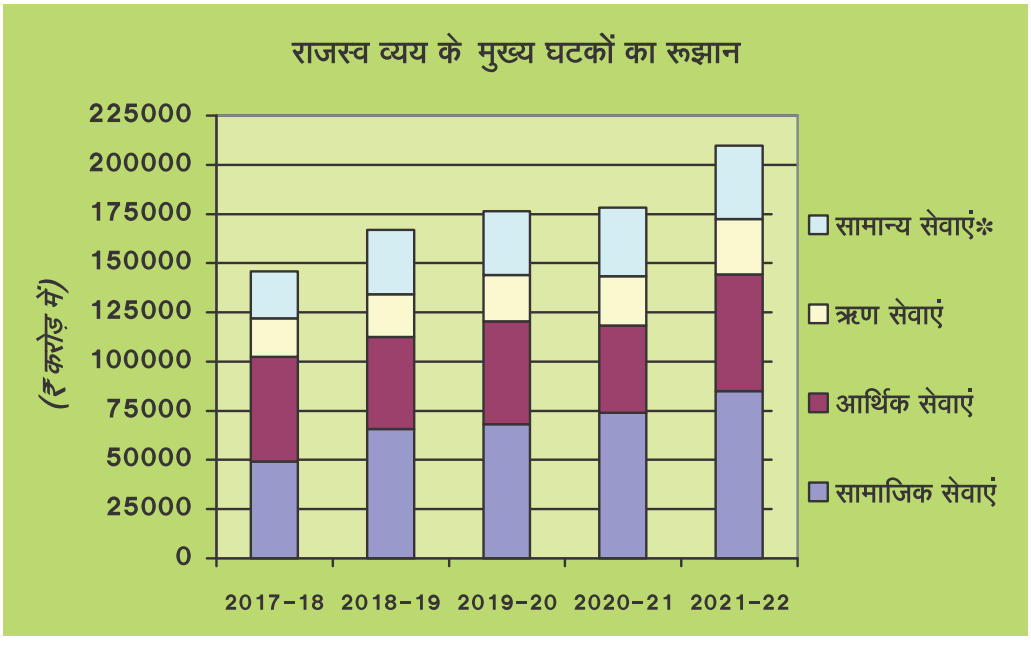
राजस्व व्यय का लगभग 70.5 *प्रतिशत* (₹ 1,47,854 करोड़) वेतन (₹ 56,602 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 28,101 करोड़), पेंशन (₹ 23,391 करोड़), सहाय्य (₹ 23,364 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य पेंशन (₹ 9,240 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (वेतन) (₹ 6,640 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 516 करोड़) पर " प्रतिबद्ध " था।

प्रतिबद्ध तथा गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व व्यय	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	1,04,154	1,24,264	1,24,887	1,27,306	1,47,854
गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	41,688	42,509	51,598	51,003	61,936

3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2017–2022)

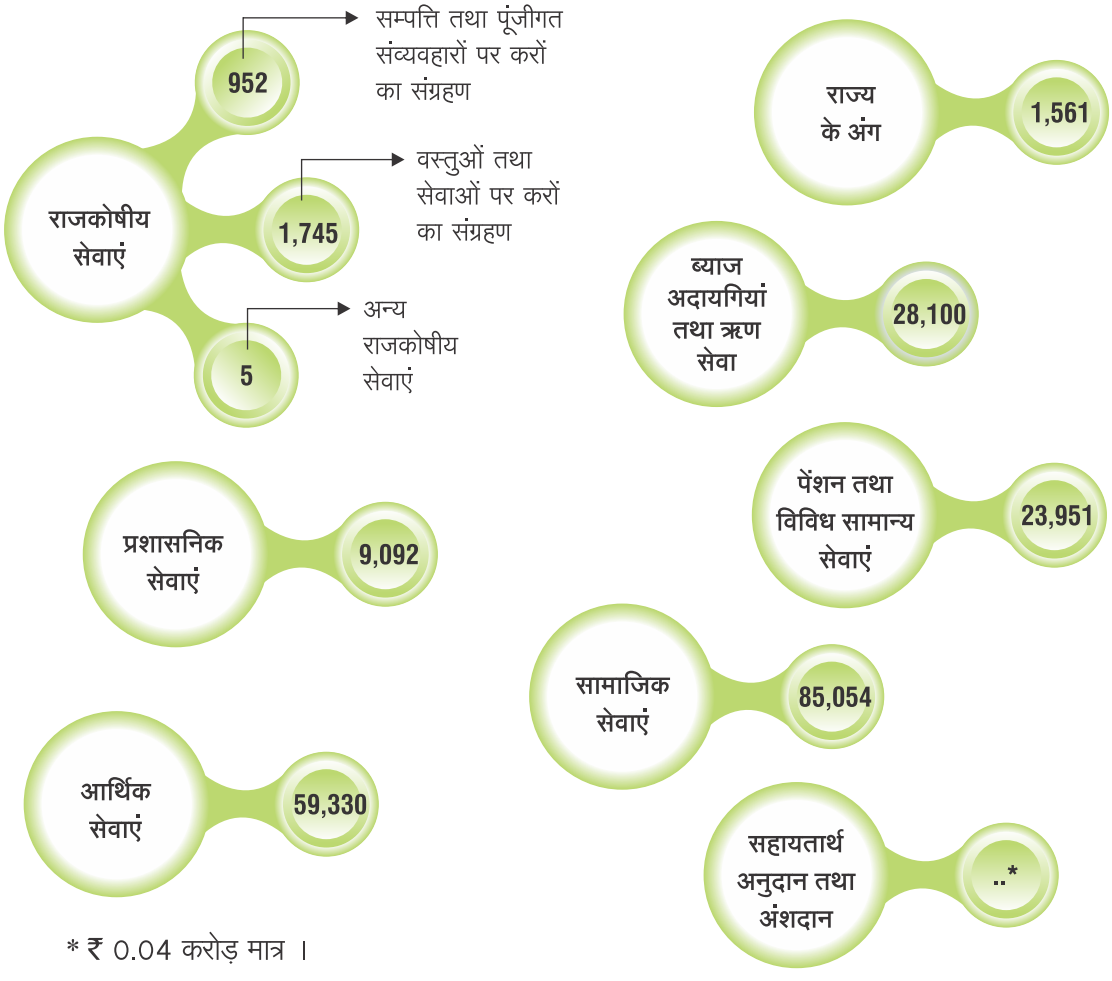


* सामान्य सेवाएं में *मुख्य शीर्ष 2049* (ब्याज अदायगियां) सम्मिलित नहीं है तथा *मुख्य शीर्ष 3604* (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

गत वर्ष की तुलना में सभी क्षेत्रों के व्यय में वृद्धि हुई।

3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	2,702	1.3
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	*952*	*0.5*
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	*1,745*	*0.8*
अन्य राजकोषीय सेवाएं	*5*	..
ख. राज्य के अंग	1,561	0.8
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	28,100	13.4
घ. प्रशासनिक सेवाएं	9,092	4.3
ङ पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	23,951	11.4
च. सामाजिक सेवाएं	85,054	40.5
छ. आर्थिक सेवाएं	59,330	28.3
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	..*	..
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**2,09,790**	**100.0**



* ₹ 0.04 करोड़ मात्र ।

3.3. पूंजीगत व्यय

2021–22 के लिए ₹ 24,152 करोड़ का पूंजीगत व्यय (ऋण वितरण को छोडकर), केन्द्रीय सहायता के अधीन (₹ 163 करोड़) कम संवितरण तथा राज्य निधि के अधीन (₹ 99 करोड़) अधिक संवितरण के कारण, बजट अनुमान (₹ 24,216 करोड़) से ₹ 64 करोड़ कम था। पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.0 *प्रतिशत* था। राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पुरा करने के लिये सितम्बर 2021 तथा मार्च 2022 में ₹ 5,719 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

2021–22 में ₹ 621 करोड़ का ऋण वितरण बजट अनुमान (₹ 362 करोड़) से ₹ 259 करोड़ अधिक था। राज्य सरकार ने बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये सितम्बर 2021 तथा मार्च 2022 में ₹ 283 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

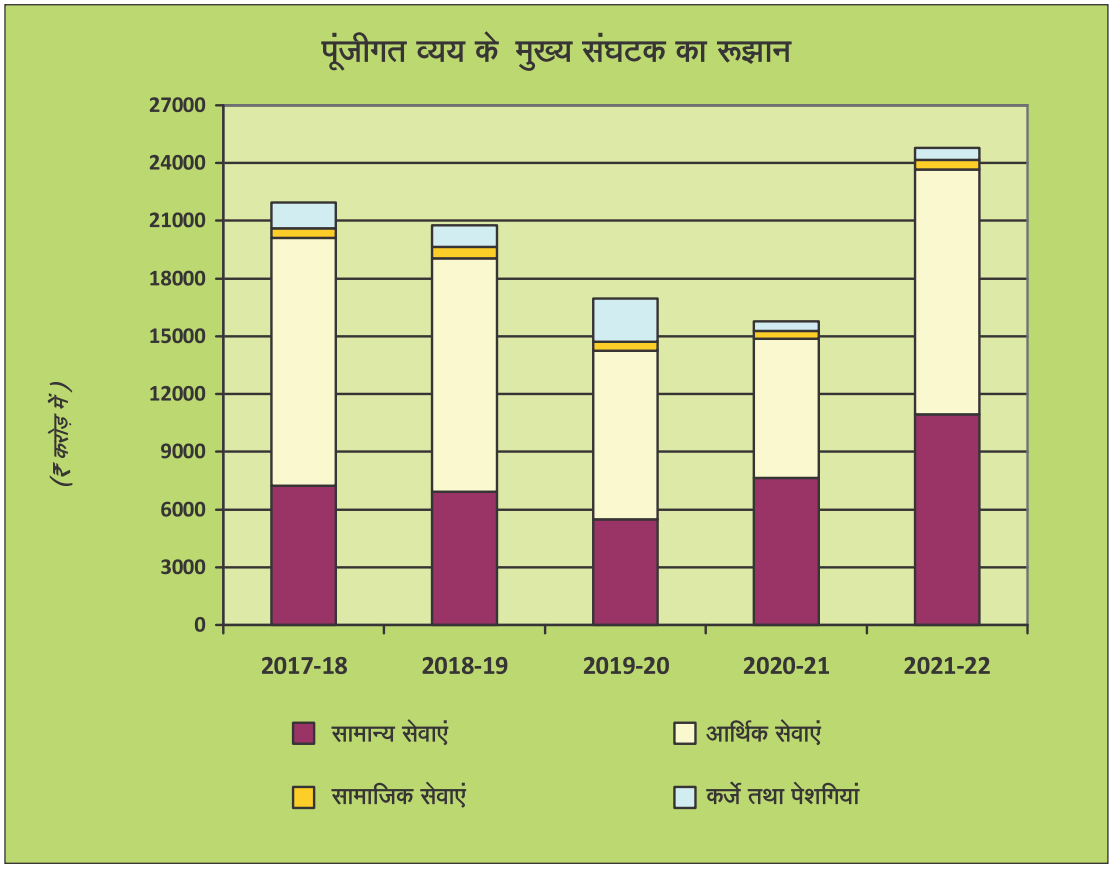
2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 4,918 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर, ₹ 4,162 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर, ₹ 3,469 करोड़ विभिन्न सिंचाई परियाजनाओं पर (₹ 2,821 करोड़ मुख्य सिंचाई पर, ₹ 203 करोड़ मध्यम सिंचाई पर तथा ₹ 445 करोड़ लघु सिंचाई पर), ₹ 2,429 करोड़ शहरी विकास पर, ₹ 1,962 करोड़ चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर तथा ₹ 1,001 करोड़ ग्रामीण विकास पर व्यय किये । राज्य सरकार ने ₹ 3,691 करोड़ (निवल) का विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में निवेश भी किया । सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा विद्युत क्षेत्र (₹ 1,146 करोड़), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 869 करोड़) तथा एच पी सी एल राजस्थान रिफाइनरी (₹ 867 करोड़) में था।

3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	527 (2.4)	588 (2.8)	463 (2.7)	398 (2.5)	484 (2.0)
सामाजिक सेवाएं	7,221 (32.9)	6,913 (33.3)	5,490 (32.4)	7,642 (48.5)	10,951 (44.2)
आर्थिक सेवाएं	12,875 (58.6)	12,137 (58.5)	8,765 (51.6)	7,231 (45.9)	12,717 (51.3)
कर्जे तथा पेशगियां	1,334 (6.1)	1,113 (5.4)	2,255 (13.3)	491 (3.1)	621 (2.5)
कुल योग	**21,957**	**20,751**	**16,973**	**15,762**	**24,773**

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशतता* दर्शाती हैं।

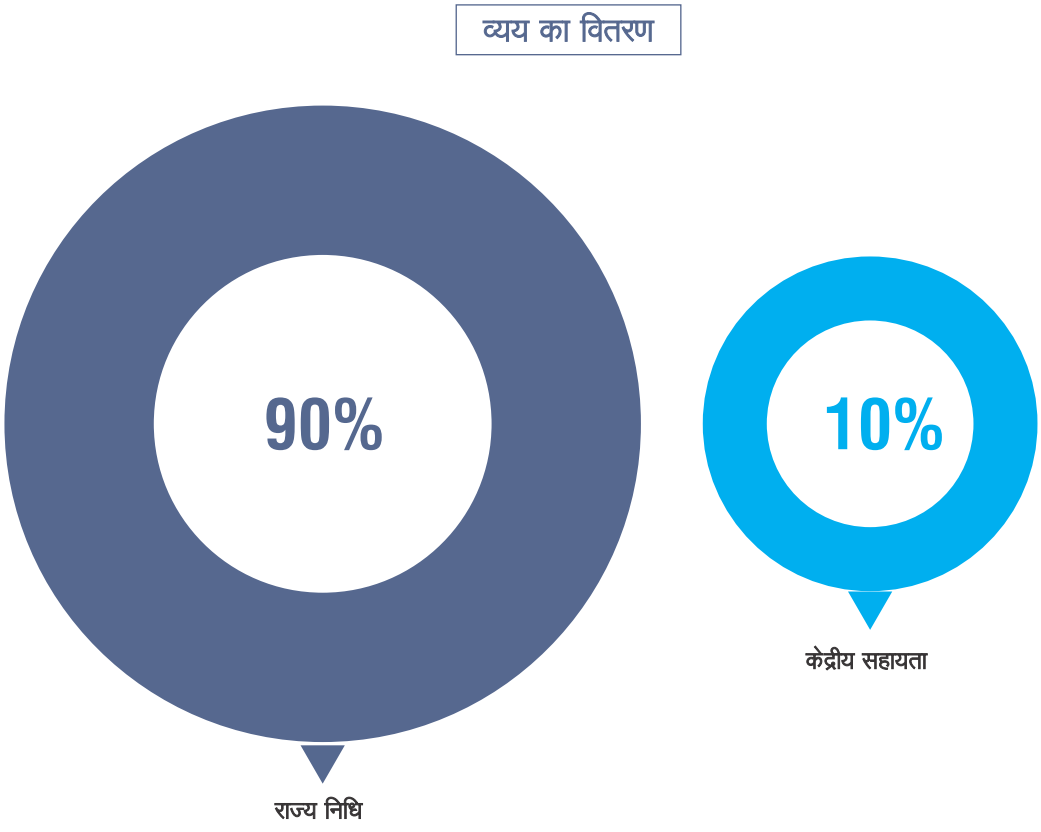

पूंजीगत व्यय के मुख्य संघटक का रूझान
(₹ करोड़ में)
27000
24000
21000
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
सामान्य सेवाएं
आर्थिक सेवाएं
सामाजिक सेवाएं
कर्जे तथा पेशगियां

अध्याय 4

राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता व्यय

4.1. व्यय का वितरण

भारत सरकार ने गैर–योजना और योजना के रूप में व्यय के बटवारे को 2017–18 से बंद कर दिया है। तद्नुसार राज्य सरकार ने अपने बजट में व्यय की प्रकृति को राज्य निधि और केन्द्रीय सहायता के रूप में संशोधित किया है।



4.2. राज्य निधि व्यय

2021–22 के दौरान राज्य निधि व्यय, कुल वितरण के 89.7 *प्रतिशत* को दर्शाते हुऐ ₹ 2,10,296 करोड़ (₹ 1,89,969 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ 19,706 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 621 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम के तहत) था।

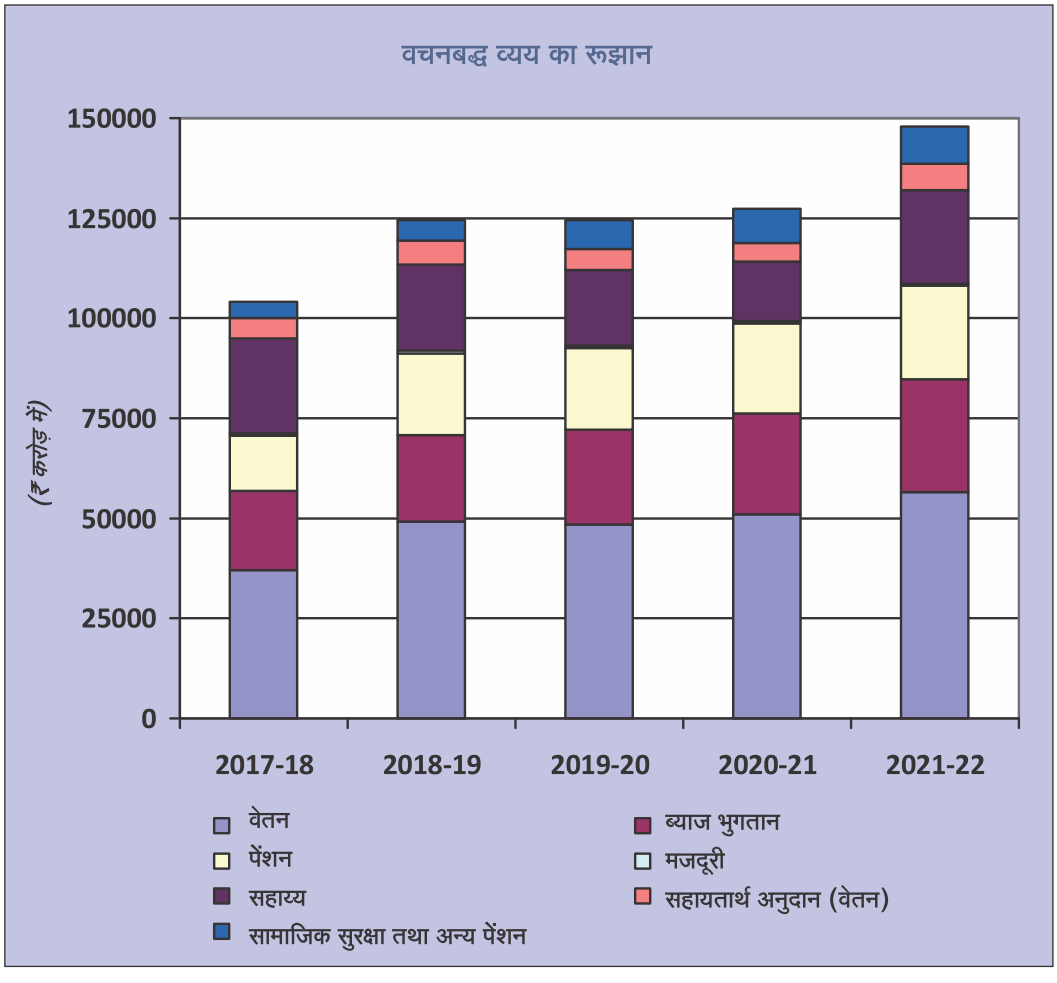
4.3. केन्द्रीय सहायता व्यय

2021–22 के दौरान, केन्द्रीय सहायता व्यय, कुल वितरण के 10.3 *प्रतिशत* को दर्शाते हुऐ ₹ 24,267 करोड़ (₹ 19,821 करोड़ राजस्व के तहत तथा ₹ 4,446 करोड़ पूंजीगत के तहत) था।

4.4. वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वचनबद्ध व्यय	1,04,154	1,24,264	1,24,887	1,27,306	1,47,854
राजस्व व्यय	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790
राजस्व प्राप्तियों पर वचनबद्ध व्यय (*प्रतिशत में*)	81.8	90.1	89.1	94.8	80.4
राजस्व व्यय पर वचनबद्ध व्यय (*प्रतिशत में*)	71.4	74.5	70.8	71.4	70.5



अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व						
दत्तमत	1,84,494	19,538	2,04,032	1,86,192	(-) 17,840	17,857
भारित	*28,609*	*60*	*28,669*	*28,360*	*(-) 309*	*306*
पूंजी						
दत्तमत	26,530	5,712	32,242	26,426	(-) 5,816	5,626
भारित	..	7	*7*	*7*	..	..
लोक ऋण						
भारित	*17,589*	*47,179*	*64,768*	*56,128*	*(-) 8,640*	*8,640*
कर्जे तथा पेशगियां						
दत्तमत	362	283	645	621	(-) 24	120
आकस्मिकता निधि से विनियोग						
दत्तमत	500	..	500	500	..	..
योग	**2,58,084**	**72,779**	**3,30,863**	**2,98,234**	**(-) 32,629**	**32,549**

5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्जे तथा अग्रिम	
2017-18	(-) 9,989	(-) 5,961	(-) 7	(-) 33	(-) 15,990
2018-19	(-) 12,450	(-) 6,821	(-) 5	(-) 26	(-) 19,302
2019-20	(-) 18,988	(-) 5,141	(-) 17	(-) 212	(-) 24,358
2020-21	(-) 18,802	(-) 7,912	(-) 40	(-) 298	(-) 27,052
2021-22	(-) 18,149	(-) 5,816	(-) 8,640	(-) 24	(-) 32,629

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत निश्चित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वित न होने अथवा धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है।

कुछ अनुदानों में निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत नीचे दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
008	राजस्व (राजस्व)	81	82	124	143	129
009	वन (राजस्व)	87	105	96	143	189
012	अन्य कर (राजस्व)	70	129	98	152	206
014	बिक्री कर (राजस्व)	180	266	87	90	99
019	लोक निर्माण कार्य (राजस्व)	47	62	114	127	79
	लोक निर्माण कार्य (पूंजी)	625	464	383	565	343
021	सड़कें एवं पुल (राजस्व)	318	306	375	1,188	154
	सड़कें एवं पुल (पूंजी)	187	904	460	1,295	1,008
022	क्षेत्र का विकास (पूंजी)	75	122	137	80	76
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति (पूंजी)	144	128	106	198	740
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (राजस्व)	490	504	692	929	489
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (पूंजी)	124	72	78	64	61
027	पेय जल योजना (पूंजी)	683	1,044	1,023	638	890
028	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (राजस्व)	164	243	214	44	291
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (राजस्व)	1,104	1,084	901	1,378	880
	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (पूंजी)	551	197	490	61	368

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (राजस्व)	1,337	700	1,520	1,217	1,892
	जनजाति क्षेत्रीय विकास (पूंजी)	628	779	638	1,279	668
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (राजस्व)	237	541	466	291	318
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पूंजी)	49	41	31	23	105
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं (राजस्व)	24	133	47	139	41
037	कृषि (राजस्व)	259	493	334	356	427
	कृषि (पूंजी)	49	234	128	24	30
042	उद्योग (राजस्व)	11	36	101	53	141
046	सिंचाई (पूंजी)	236	239	262	485	236
048	विद्युत् (पूंजी)	226	276	217	1,033	161
050	ग्रामीण रोजगार (राजस्व)	786	120	81	146	928
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (राजस्व)	867	723	2,028	1,716	2,219
	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (पूंजी)	1,665	1,334	985	1,973	836

2021–22 के दौरान कुल ₹ 6,614 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (₹ 72,779 करोड़ के लिये गये कुल अनुपूरक अनुदान का 9.1 *प्रतिशत)* कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण बचत रही। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
004	जिला प्रशासन	राजस्व	635	24	574
005	प्रशासनिक सेवाएं	पूंजी	..	12	..
007	निर्वाचन	राजस्व	186	3	179
008	राजस्व	राजस्व	918	4	793
016	पुलिस	राजस्व	7,197	228	7,186
		पूंजी	237	4	175
019	लोक निर्माण कार्य	पूंजी	1,036	87	781
020	आवास	राजस्व	74	9	73
		पूंजी	87	2	43
021	सड़कें एवं पुल	पूंजी	4,851	624	4,467
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	राजस्व	35,903	903	34,392
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	राजस्व	11,627	271	11,410
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	पूंजी	3,602	249	3,183
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	राजस्व	3,995	1,000	3,908
039	पशुपालन एवं चिकित्सा	राजस्व	1,776	3	1,684
044	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	राजस्व	30	1	29
046	सिंचाई	पूंजी	2,587	128	2,478
050	ग्रामीण रोजगार	राजस्व	3,080	691	2,843
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	राजस्व	19,686	2,096	19,563
		पूंजी	4,589	275	4,029

अध्याय 6

सम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1. सम्पत्तियां

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता । इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

6.1.1. निवेश तथा वापसी

2021–22 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश–पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 56,475 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर केवल ₹ 87 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। 2021–22 के दौरान, ₹ 3,691 करोड़ (निवल) से निवेश बढ़ा तथा लाभांश से आय ₹ 84 करोड़ अधिक हुई । मुख्य निवेश विद्युत् क्षेत्र (₹ 1,146 करोड़) में किया गया। विद्युत् क्षेत्र के मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹ 48,894 करोड़ के विरूद्ध संचित हानि ₹ 98,245 करोड़ थी।

6.1.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

31 मार्च, 2021 को भारतीय रिर्जव बैंक में रोकड़ शेष ₹ (-) 60 करोड़ था तथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 187 करोड़ तक बढा । रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश की स्थिति नीचे दी गयी है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2021 को	31 मार्च 2022 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 60	187	247
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	4,440	8,219	3,779
अन्य रोकड़ शेष	4	4	..
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	3	3	..
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	2,104	6,259	4,155
(क) गारन्टी मोचन निधि	1,933	4,716	2,783
(ख) अन्य निधियां	171	1,543	1,372
ब्याज प्राप्तियां *	123	111	(-) 12

* इसमें गारण्टी मोचन निधि में से किये गये निवेश पर ब्याज सम्मिलित है।

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के कोषालय बिलों में रोकड़ शेष निवेश			
1 अप्रेल 2021 को शेष	2021–22 के दौरान क्रय	2021–22 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2022 को अन्तिम शेष
4,440	95,203	91,424	8,219

6.1.3. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2021–22 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 8,213 करोड़ थे। 2021–22 के दौरान, ₹ 2,373 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए जिसमें से ₹ 2,360 करोड़ विभिन्न विद्युत् कम्पनियों (₹ 774 करोड़), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 630 करोड़), राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड (₹ 276 करोड़), जयपुर मेट्रों रेल निगम (₹ 264 करोड़), राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 213 करोड़), जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (₹ 99 करोड़), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 58 करोड़), राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (₹ 17 करोड़), राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड (₹ 10 करोड़) तथा विभिन्न सहकारी समितियों/ सहकारी बैंको (₹ 19 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होगें।

प्रधान महालेखाकार को संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष जून तक मूल तथा ब्याज के संबंध में बकाया रही वसूलियों से संबंधित सूचना दी जानी होती है 2021–22 के दौरान 23 विभागों से 161 में से 94 विवरण प्राप्त नहीं हुए है।

6.2. ऋण एवं देयता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

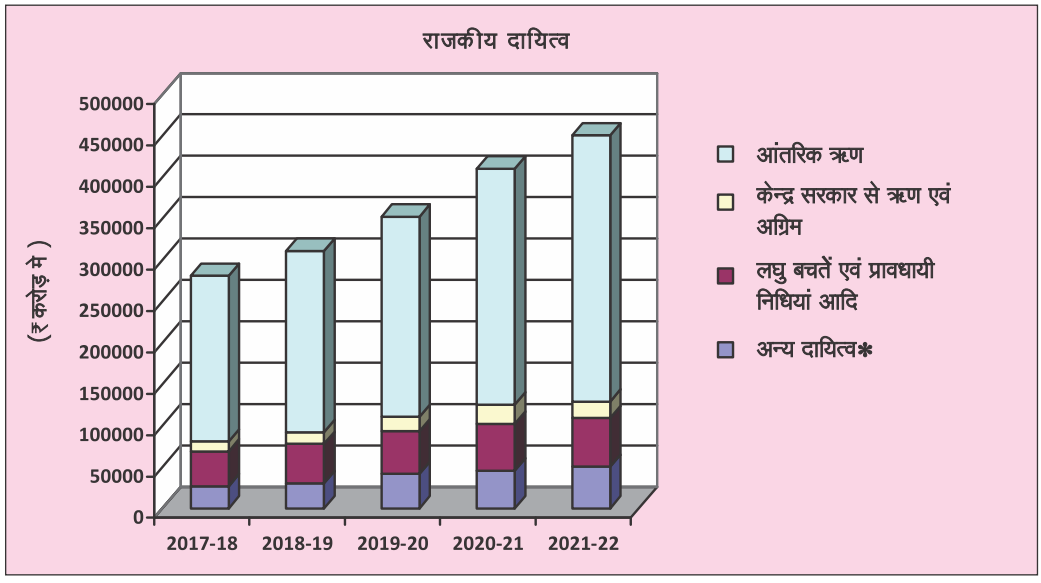
राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रेषित शेष है) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	लोक लेखा *	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*
2017-18	2,12,307	25.6	68,875	8.3	2,81,182	33.9
2018-19	2,33,239	25.3	78,135	8.5	3,11,374	33.8
2019-20	2,59,380	26.0	93,322	9.3	3,52,702	35.3
2020-21	3,08,321	32.2	1,02,178	10.7	4,10,499	42.9
2021-22	3,41,684@	28.6	1,09,289	9.1	4,50,973	37.7

* अग्रिम, उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।

@ ₹ 11,872 करोड़ जी एस टी मुआवजे के एवज में भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण में सम्मिलित नहीं है ।



* अन्य दायित्वों में आरक्षित निधियां तथा जमा सम्मिलित है।

6.3. गारन्टियां (आकस्मिक दायित्व)

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि	वर्ष के अंत में बकाया गारन्टी
2017-18	1,12,057	61,761
2018-19	1,31,026	70,430
2019-20	1,44,676	80,631
2020-21	1,56,822	82,612
2021-22	1,72,684	95,868

टिप्पणी: विस्तृत विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 20 में उपलब्ध है तथा ये राज्य सरकार तथा जहां उपलब्ध हुई, संबंधित संस्थाओं, से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी फीस 0.01 *प्रतिशत* से 1 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 551 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 6,072 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 4,716 करोड़ निवेशित किये गये।

अध्याय 7

अन्य मदें

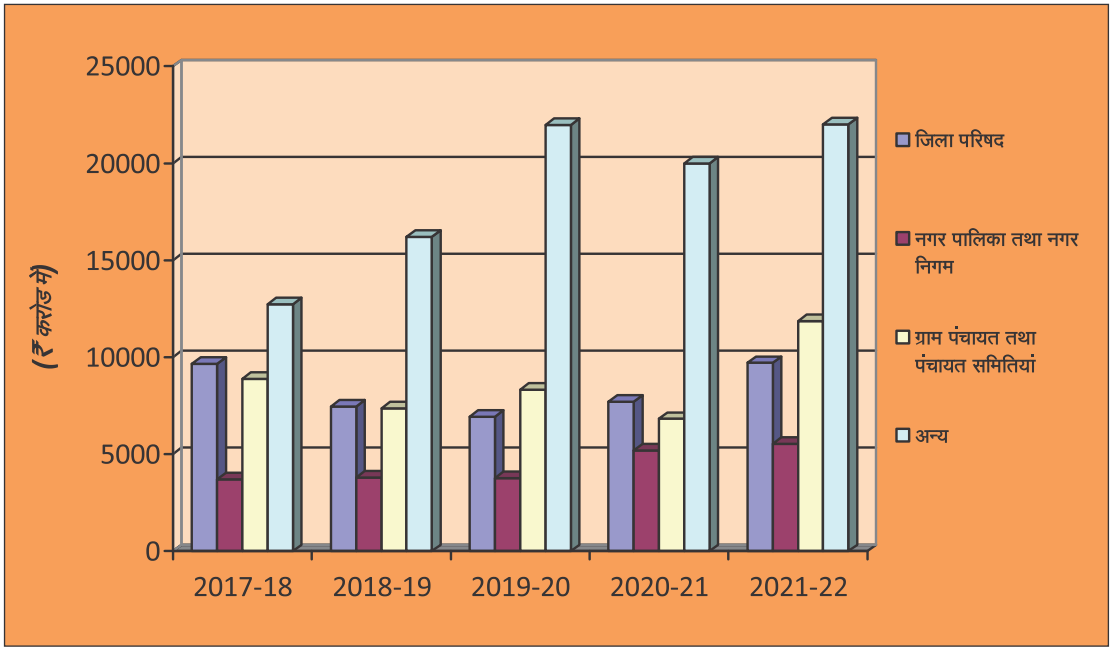
7.1. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान, स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2017-18 में ₹ 34,985 करोड़ से वर्ष 2021-22 में ₹ 49,127 करोड़ बढ़ी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 27,128 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 55.2 *प्रतिशत* था।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2017-18	9,670	3,696	8,880	12,739	**34,985**
2018-19	7,460	3,811	7,374	16,217	**34,862**
2019-20	6,930	3,781	8,341	21,973	**41,025**
2020-21	7,716	5,206	6,827	19,996	**39,745**
2021-22	9,712	5,542	11,874	21,999	**49,127**



7.2. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्तियों की राशि ₹ 2,87,688 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) और व्यय राशि ₹ 2,91,191 करोड़ (कुल व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान किया गया ।

7.3. कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) लागू होने के पश्चात् खण्डीय संव्यवहार कोषालयों के माध्यम से प्राप्त हो रहे है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने, निधियों के आवंटन पर बजटीय नियंत्रण तथा कोषालय लेखों की सामयिकता में गत कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

7.4. सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण–पत्र

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के अधीन, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदान के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्त्ता से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये जिनको सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये । निर्दिष्ट समय के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के आश्वासन के अभाव को इंगित करता है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2020–21 तक	198	278
2021–22	572	1,555
योग	**770**	**1,833**

7.5. सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नही होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 3 माह में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2022 के अन्त में ₹ 33 करोड़ के कुल 89 डीसी बिल बकाया थे। इसके अतिरिक्त ₹ 12 करोड़ के 10 डी सी बिल एक वर्ष से अधिक से बकाया थे। विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं होने तक वर्ष के दौरान दर्शाये गये व्यय को अन्तिम व्यय हुआ नहीं माना जा सकता है ।

7.6. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, सात लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2022 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2021-22 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दर्शाये शीर्षों में निम्नलिखित था :-

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2021-22 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2022 का *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)						
2075	विविध सामान्य सेवाएं	1.52	1.42	2.70	554.49	**560.13**	**551.49**	98.46
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	13.44	16.38	22.58	175.11	**227.51**	**140.58**	61.79
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.33	0.70	0.88	1.23	**3.14**	**2.78**	88.54
4236	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	..	..	..	1.69	**1.69**	**1.69**	100.00
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	0.37	14.85	4.54	76.41	**96.17**	**70.28**	73.08
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	..	..	..	0.56	**0.56**	**0.56**	100.00
4575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	..	3.50	..	68.00	**71.50**	**66.00**	92.31
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.22	0.06	0.01	0.44	**0.73**	**0.46**	63.01
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	..	..	0.08	0.32	**0.40**	**0.32**	80.00

7.7. नवीन पेंशन योजना

1 जनवरी 2004 को या इसके बाद नियुक्त राज्यकर्मी नयी पेंशन योजना के लिये योग्य है जो निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान करता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुरूपित किया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डीपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है। यद्यपि, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के सम्बन्ध में सरकार अपने हिस्से का 14 *प्रतिशत* अंशदान करती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना का कुल अंशदान ₹ 4,495 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान: ₹ 2,568 करोड़ तथा सरकारी अंशदान ₹ 1,926 करोड़) नयी पेंशन योजन में सरकारी अंशदान ₹ 642 करोंड़ से कम था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा उस स्तर तक कम बताया गया ।

वर्ष 2021-22 के लिए एन.एस.डी.एल./ ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित ₹ 3,828 करोड़ वर्ष में योगदान की गई राशि से ₹ 667 करोड़ कम था । अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहीत, बिना मिलान के और अहस्तांतरित राशि, योजना के तहत सरकार की बकाया देनदारियों को दर्शाती है।

7.8. उचन्त शेषों की स्थिति

वित्त लेखे में उचन्त शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से बकाया नामे तथा जमा शेषों को जोड़कर निकाला जाता है। मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के बकाया शेषों के सकल आकड़ों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. वेतन एवं कार्यालय-उचंत	168	49	144	8	104	10
निवल	**(नामे) 119**		**(नामे) 136**		**(नामे) 94**	
102. उचंत लेखे (सिविल)	..@	76	7	112	..*	100
निवल	**(जमा) 76**		**(जमा) 105**		**(जमा) 100**	
112. स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	..	43	..	137	..	27
निवल	**(जमा) 43**		**(जमा) 137**		**(जमा) 27**	
129. सामग्री क्रय समाधान उचन्त लेखा	..	(-) 3	..	(-) 4	..	(-) 4
निवल	**(जमा) (-) 3**		**(जमा) (-) 4**		**(जमा) (-) 4**	
139. स्त्रोत पर जीएसटी कर कटोती उचंत	..	34	..	53	..	54
निवल	**(जमा) 34**		**(जमा) 53**		**(जमा) 54**	

@ ₹ 0.37 लाख मात्र । * ₹ 41 लाख मात्र ।

7.9. अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता

प्रत्येक ₹ 10 करोड़ या अधिक की लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची पर परिशिष्ट, राज्य निर्माण विभागों अर्थात लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है वर्ष 2021-22 के दौरान विभागों ने समय पर सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करायी इसलिए परिशिष्ट IX तैयार नहीं किया गया है।

7.10. निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते

सरकार निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते खोलने के लिये अधिकृत है जिसमें निधियां समेकित निधि से हस्तान्तरित की जाती है। राजस्थान कोषालय नियम के अनुसार, एक पी.डी. खाता अन्तिम लेनदेन के वर्ष के पश्चात् पांच पूर्ण वित्तीय वर्ष से अधिक समय हेतु अप्रचलित होने पर बन्द होना अपेक्षित होता है तथा अवशेष राशि को समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिये।

31 मार्च 2022 को कुल 2053 पी.डी. खाते थे। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार में 152 नये निजी निक्षेप खाते खोले तथा 27 अप्रचलित पी. डी. खाते बंद किये। ₹ 59,750 करोड़ पी.डी. खातों को हस्तान्तरित/जमा की गयी, इसमें मार्च 2022 में हस्तान्तरित ₹ 7,296 करोड़ शामिल थे, जिसमे से ₹ 7 करोड़ मार्च 2022 के अन्तिम कार्य दिवस पर हस्तान्तरित किये गये।

वर्ष 2021-22 के अंत में राशि ₹ 18,221 करोड़ पी.डी. खातों में अवशेष रही।



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302005

agaerajasthan@cag.gov.in

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर/TP